न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट, सिद्धार्थनगर ।
उपस्थित–त्रिभुवन नाथ, (एच०जे०एस०)

J.O. Code UP 6450

UPSD010028732018

SC ST Act/52/2018

राज्य ———————————————— **अभियोजक**

बनाम

1–पूजा पुत्री त्रिवेनी तेली,
2–सीमा पुत्री त्रिवेनी तेली,
3–अंगीता पुत्री त्रिवेनी तेली,
4–कलावती पत्नी त्रिवेनी तेली,
निवासिनी–साकिन भरथना, थाना–को0 बॉसी, जिला सिद्वार्थनगर।

—————— अभियुक्तागण

मुकदमा अपराध संख्या–199/2018
अन्तर्गत धारा–323,504 भा०द०सं०
व धारा–3(1)द एस०सी०/एस०टी0
(पी०ए०) एक्ट।
थाना–को0 बॉसी, जिला–सिद्धार्थनगर।

निर्णय

1– मुकदमा अपराध संख्या–199/2018 में अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती के विरूद्व अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०द०सं० व धारा–3(1)द एस०सी०/एस०टी0(पी०ए०) एक्ट में विवेचना के पश्चात थाना कोतवाली बॉसी की पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर प्रसज्ञांन लेकर मामले का विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा उमेश कन्नौजिया पुत्र विश्वनाथ कन्नौजिया, साकिन भरथना, थाना को0 बॉसी, जिला सिद्वार्थनगर का निवासी है। आज दिनॉक 15–6–2018 को समय करीब 9 बजे गॉव में घर पर दीवाल व नाली के विवाद को लेकर विपक्षीगण पूजा, सीमा,

अंगीता व कलावती साकिन भरथना, थाना को0 बॉसी, जिला सिद्वार्थनगर ने जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए प्रार्थी की लड़की रिका को मारने लगे। शोर सुनकर बचाने के लिए इन्द्रावती पत्नी रामशंकर, किरन पुत्री रामशंकर, संगीता पत्नी राजू परिवार के लोग बचाने गये तो उन्हें भी विपक्षीगण मारपीट कर घायल कर दिये। सूचना देने आया हूॅं। मुकदमा लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

3— वादी द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना को0 बॉसी में मु0अ0सं0—199/2018, धारा—323, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगिता व कलावती के विरूद्व मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4— विवेचनाधिकारी ने दौरान विवेचना बयान एफ0आई0आर0 लेखक व बयान वादी तथा अन्य साक्षीगण के अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा चिकित्सीय आख्या प्राप्त किया। उसके पश्चात विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगिता व कलावती के विरूद्व अन्तर्गत धारा—323, 504 भा०दं०सं० व धारा—3(1)द एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में दिनॉक 19—09—2018 को प्रेषित कर आरोपपत्र पर प्रसज्ञांन लिया गया।

5— न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट सिद्वार्थनगर द्वारा दिनांक 09—02—2021 को अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगिता व कलावती के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—323,504 भा0द0सं0 व धारा—3(1)द एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तागण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तागण द्वारा इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की गयी।

6— अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०—1 उमेश वादी मुकदमा, पी०डब्लू०—2 किरन कुमारी, पी०डब्लू०—3 इन्द्रावती, पी0डब्लू0—4 संगीता, पी0डब्लू0—5 रिंकी, पी0डब्लू0—6 हेड का0 हरेन्द्र प्रजापति, पी0डब्लू0—7 उमाशंकर सिंह सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी, पी0डब्लू0—8 डा0 प्रियांशु पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7— अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगिता व कलावती का बयान अन्तर्गत धारा—313 द०प्र०सं० दिनॉक 15—05—2026 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्तागण द्वारा घटना के बावत कुछ नहीं बताया गया और साक्षी पी0डब्लू0—1, पी0डब्लू0—2, पी0डब्लू0—3 व पी0डब्लू0—4, पी0डब्लू0—5, पी0डब्लू0—6, पी0डब्लू0—7 व पी0डब्लू0—8 के द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त मुकदमा रंजिशवश चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया।

8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—1 उमेश वादी मुकदमा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 को समय 8—30 व 9 बजे के बीच का है। मै पोखरी पर गया था मेरी बच्ची रिंकी उर्फ रिंका घर के पीछे बने स्नान घर में नहाने गयी थी। उसी बीच में सीमा, पूजा, अंगीता और उनकी मॉ कलावती मेरी बच्ची को धोबी की जाति कहकर गाली गुप्ता देने लगी और लाठी डण्डा व सरिया से मारे शेार सुनकर बचाने के लिए इन्द्रावती, किरन, संगीता व परिवार के लोग बचाने गये तो उनको भी ढेला ईटवा लात मूका से मारे तथा रिकी उर्फ रिंका का सिर फट गया। जब मै पोखरी से घर वापस आया तो मैने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी। तब मै दौड़कर अपनी बेटी को उठाया और उसके सिर से खून बह रहा था और अन्य लोगों को चोट लगी थी, वे लोग बैठकर रो रहे थे, जिनको उपरोक्त मुल्जिमान ने मारा था। मेरी बेटी ने घटना के बारे मे बतायी फिर मै जाकर थाने पर प्रार्थनापत्र लिखवाकर सुनकर हस्ताक्षकर करके दिया। जो पत्रावली में साामिल कागज सं0—6क है जिसकी मै पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गयां। रिका और इन्द्रावती, किरन, संगीता का मेडिकल पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल तिलौली में कराया गया तथा इन्द्रावती को सरकारी नौगढ़ में रेफर कर दिया गया था। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया और मौके पर जाकर घटना स्थल का मुआयना किये थे।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—2 किरन कुमारी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 कोसुबह 9 बजे का समय था। मेरे पिता जी 5 भाई हैं। आपस में बटवारा हुआ सभी लोग अपना अपना घर बनवा रहे थे मजदूर नाली में पानी गिराने का पाइप लगा रहे थे तब तक कलावती, पूजा, संगीता, सीमा, त्रिवेनी से मेरी मम्मी गयी पूछने कि क्यों रोक रहे हो तब सभी लोग मिलकर मारने लगे। लाठी, ईट, सरिया से लात मूका से भी मारे बचाने मै गयी तो मुझे भी मारने लग। रिका, संगीता को

भी मारे रिंका का सरिया से मारने पर उसका सर फट गया। गालियॉ दिये जातीय अपमान जनक सूचक शब्दों से अपमानित किये। धोबी मादरचोद को मार डालो। त्रिवेनी ने मारा और ललकारा कि जान से मार डालो मै जाति की धोबी हूॅ। मुल्जिमान जाति के तेली हें। घटना की रिपोर्ट मेरे चाचा उमेश ने लिखाया था। पुलिस हम लोगों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल तिलौली में करायी थी। जॉच में सी0ओ0 साहब मेरा बयान लिये थे।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—3 इन्द्रावती ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 समय 9 बजे का था। मेरी भतीजी रिंका नल पर नहाने गई थी, स्कूल जाने का समय था। इतने में पूजा, त्रिवेनी, कलावती, सीमा, अंगीता रिंका को मारने लगे, उसका सर फट गया। शोर सुनकर मै किरन संगीता नल के पास गई तो रिंका घायल अवस्था में थी और ये लोग मुझे संगीता तथा किरन को भी मारे धोबी धोबीकटट साला कहकर गालियॉ दिये। उसके बाद मेरा देवर उमेश हम लोगों को लेकर थाने गया थाने पर उमेश ने मुकदमा लिखाया। पुलिस हम लोगों की डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल तिलौली में करायी, जिला अस्पताल में मेरा एक्सरे हुआ था। जॉच में सी0ओ0 साहब मेरा बयान लिये थे।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—4 संगीता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 की सुबह 8—30 बजे के बीच की है। हम लोग घर बनाये थे हम लोग घर का पानी निकालने के लिए पाइप घर के पीछे तरफ निकाल रहे थे पीछे हमारी जमीन थी। इसी बात पर कलावती, सीमा, पूजा, अंगीता रिंका को मारने लगे। शोर पर इन्द्रावती, किरन मै पहुंची तब मुल्जिमान हम लोगों को मारे पीटे। सरिया से मारे पीटे और जाति सूचक शब्द धोबी कटट कहकर गाली देने लगे मै जाति की धोबिन हूॅ सभी मुल्जिमान जाति के तेली है। इस घटना की रिपोर्ट उमेश ने लिखयाथा हम लोगों के चोटो का डाक्टरी मुआयना तिलौली में हुआ था। जॉच में सी0ओ0 साहब मेरा बयान लिये थे।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—5 रिंकी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना लगभग साढ़े 6.1/2 साल पहले की है समय सुबह 9 बजे दिन का था। मेरे मकान के पीछे नाली बन रहा था मै नहाने घर के पीछे नल पर गई थी। पूजा, सीमा, अंगीता, कलावती,त्रिवेनी आकर गालियॉ देने लगे मारने लगे मुझे सरिया से मारे थे। नाली के विवाद को लेकर मारे थे। मेरे अलावा इन्द्रावती, संगीता और किरन को भी मारे थे। इस घटना

की रिपोर्ट मेरे पिता जी थाने पर दिये थे। पुलिस हम लोगों की डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल तिलौली में करायी थी। मेरे सिर और दाहिने हाथ में चोट लगी थी। सी0ओ0 साहब मुझसे पूछताछ किये थे।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—6 हेड का0 हरेन्द्र प्रजापति ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मै दिनॉक 15—6—2018 को थाना बॉसी जिला सिद्वार्थनगर बतौर का0 मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन मु0अ0सं0—199/2018 की चिक एफ0आई0आर0 कायमी के साथ साथ कम्पयूटर पर बोलकर टंकित कराया था तथा कायमी जी0डी0 में रपट सं0—26 समय 10—50 बजे मूल के साथ कार्बन प्रति लगाकर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मूल की कार्बन प्रति आज मै स्वयं प्रमाणित कर देता हूॅ। कार्बन प्रति कागज सं0—8क पर प्रदर्श क—2 डाला गया। चिक एफ0आई0आर0 कागज सं09—5क/1 व 5क/2 तत्कालीन थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह के हस्ताक्षर से निर्गत है उनके हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूॅ इस पर प्रदर्श क—3 डाला गया।

14— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—7 उमाशंकर सिंह सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मै दिनॉक 15—06—2018 को क्षेत्राधिकारी बॉसी पर तैनात था। उस दिन मु0अ0सं0 199/2018 थाना बॉसी की विवेचना प्राप्त हुई। उस दिन पर्चा नं0—1में नकल चिक, नकल रपट अवलोकन इन्जरी रिपोर्ट इन्द्रावती, किरन, रिंका व संगीता तथा लेकर एफ0आई0आर0 का0 अंकित सिंह व वादी उमेश कन्नौजिया का बयान अंकित किया और उसी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा चोटहिल इन्द्रावती, रिंका, किरन का बयान अंकित किया। दिनॉक 16—6—2018 को पर्चा नं0—2 में चोटहिल संगीता का बयान अंकित किया। पर्चा नं0—3 दिनॉक 17—6—2018 में डा0 प्रियान्शु का बयान अंकित तथा जाति प्रमाणपत्र का अवलोकन किया तथा ग्राम प्रधान अनवर जहॉ का बयान अंकित किया जिसने वादी उमेश का जाति प्रमाणपत्र निर्गत किया था। पर्चा नं0—4 दिनॉक 22—6—2018 को चोटहिल इन्द्रावती के एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया अभियुक्ता पूजा, सीमा, अंगीता, कलावती का बयान अंकित किया और तमामी विवेचना से मामला सिद्व पाकर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जो सामिल पत्रावली कागज सं0—3क/1 लगायत 3क/4 व 4क/1 लगायत 4क/4 मेरे हस्ताक्षर में है इसकी पुष्टि करता हूॅ इस पर प्रदर्श क—4 डाला गया। नक्शा नजरी घटना स्थल कागज सं0—9क/1 सामिल

पत्रावली है जो मेरे हस्ताक्षर में है इसकी पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–5 डाला या।

15– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–8 डा0 प्रियांशु पाण्डेय चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 धोबहा बलाक खुनियॉव, थाना मिश्रौलिया, जिला सिद्वार्थनगर ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनॉक 15–6–2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिठवल स्थित तिलौली में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसी दिन होमगार्ड जयशंकर पाण्डेय थाना बॉसी द्वारा चोटहिल इन्द्रावती पत्नी रामशंकर व किरन पुत्री रामशंकर, रिंका पुत्री उमेश, संगीता पत्नी राजू ग्राम भरथना थाना कोतवाली बॉसी जनपद सिद्वार्थनगर को इलाज व डाक्टरी मुआयना तैयार करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिनको मेरे द्वारा क्रमशः डाक्टरी परीक्षण किया गया।

चोटहिल इन्द्रावती के पहचान स्वरूप दाहिने कान के नीचे काला तिल दर्ज किया गया। चोटहिल इन्द्रावती का प्लस, वी0पी0 आदि सामान्य था और होश हवास में थी। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गई।

चोट नं0–1 खरोच का घाव दॉये कन्धे पर पीछे की तरफ 9 से0मी0 X 2 से0मी0 आकार सूजर सहित मौजूद पाया गया जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–2 खरोच का घाव दाहिने तरफ सीने के ऊपरी हिस्से में 4 से0मी0 X 5 से0मी0 आकार का मौजूद पाया गया। ये घाव भी सूजन सहित था जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–3 खरोच का घाव दॉये पैर के निचले हिस्से में 3 से0मी0 X 1 से0मी0 के आकार का मौजूद पाया गया। जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–4 खरोच का घाव बॉये पुटठे पर 8 से0मी0 X 2 से0मी0 के आकार का पाया गया था।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी। चोट नं0–4 को विशेषज्ञ रिपोर्ट व एक्सरे हेतु जिला अस्पताल सन्दर्भित किया गया था।

चोटहिल किरन का पहचान स्वरूप दॉयी ऑख के नीचे काला तिल दर्ज किया गया। चोटहिल का वी0पी0 आदि नार्मल था। वह होश हवाश में थी जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गई थी।

चोट नं0–1 खरोच का घाव दॉयी भौह के 3 से0मी0 ऊपर ललाट पर 1 से0मी0 X 0.5 से0मी0 घाव मौजूद था।

चोट नं0–2 खरोच का घाव दाहिने हाथ के अग्रबाहू में मौजूद मिला।घाव सूजन युक्त था।

चोट नं0–3 दाहिने कन्धे पर दर्द की शिकायत बताई परन्तु बाहरी चोट नही पायी गई।

चोट नं0–4 बॅाये पैर में दर्द की शिकायत बताई गई जिसमें कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गई।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की पायी गई। सभी चोटें किसी कठोर कुन्दालय से आना प्रतीत हो रही थी और साधारण प्रकृति की थी।

चोटहिल रिका का पहचान स्वरूप बॅायी ऑख के बगल में कालातिल दर्ज किया गया। चोटहिल का प्लस, वी0पी0 आदि नार्मल था चोटहिल होश हवास में थी।

चोटहिल रिंका के शरीर पर निम्न चोटें पायी गई थी।

चोट नं0–1 फटा हुआ घाव सिर के पीछे की तरफ 3 से0मी0 X 0.5 से0मी0 के आकार का मौजूद था। जो कठोर व नुकीला आब्जेक्ट से आना प्रतीत हो रहा था। जहॉ रक्त श्राव हो रहा था।

चोट नं0–2 दर्द की शिकायत दॉये हाथ की कनिष्ठ अंगुली में बताई गई जहॉ जाहिरा चोट नहीं थी।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी और सामान्य प्रकृति की थी।

चोट संगीता को पहचान स्वरूप दॉये ऑख के नीचे काला तिल दर्ज किया गया। वी0पी0 प्लस आदि सामान्य था। चोटहिल होस हवास में थी। जिसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गई थी।

चोट नं0–1 कटा हुआ घाव दाहिने हाथ के कोहनी के 12 से0मी0 नीचे 1 से0मी0 X 0.5 से0मी0 के आकार का मौजूद पाया गया था जिसस रक्त श्राव हो रहा था।

चोट नं0–2 धूसा हुआ घाव (BLUNT TRAUMA) बॅाये हथेली में पाया गया था। जिसमें कोई सूजन नहीं था और सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था। सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी। चोट नं0–1 धारदार व नुकीला आब्जेक्ट से आना प्रतीत हो रहा था। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

कागज सं0–10क/1, 10क/2, 10क/3 ,10क/4 आघात आख्या क्रमशः इन्द्रावती, किरन, रिंका, संगीता सामिल पत्रावली है जिसे देखकर व पढ़कर साक्षी द्वारा बताया गया सभी चारो प्रपत्र मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है

मै इसकी पुष्टि करता हूँ इस पर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

16– **मैने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।**

17– दाण्डिक विधि का मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना कथानक स्वयं के सबूतों के आधार पर साबित करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2008 (एस0सी0) पेज 2469 एवं दिनेश बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2009 (67) ए0सी0सी0 (एस0सी0) पेज 464** में यह विधि व्यवस्था पारित की गयी है कि अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करना होता है। अब यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

18– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है कि अभियुक्तागण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रिंका, इन्द्रावती, किरन व संगीता को मारकर चोटें पहुॅचाई गई तथा गाली गुप्ता व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये जाति सूचक शब्दों में गाली देकर अपमानित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों से अभियुक्तागण पर लगाया गया आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्तागण को दोषसिद्व किया जाय।

19– बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तागण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा फर्जी तरीके से अभियुक्तागण को इस मुकदमे में फॅसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों से घटना का समर्थन नहीं होता उनके बयानों में काफी विरोधाभाष है। अभियुक्तागण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्तागण निर्दोष है। अतः अभियुक्तागण को दोषमुक्त किया जाय।

20– हस्तगत मामले में अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती पर यह आरोप है कि घटना दिनॉक 15–6–2018 को समय 9–00 बजे व स्थान ग्राम भरथना, थाना कोतवाली बॉसी, जिला सिद्वार्थनगर में अभियुक्तागण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रिंका, इन्द्रावती, किरन व संगीता को **लात मूका व लाठी डण्डा से मारकर चोटें** पहुॅचाई गई तथा गाली गुप्ता देकर अपमानित किया

गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये जाति सूचक शब्दों में गाली देकर अपमानित किया गया।

21— अभियुक्तागण पर लगाये गये आरोप को साबित करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन को साबित करने के लिये कुल 8 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

22— बचावपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादीपक्ष व अभियुक्तगण के मध्य जमीन की रंजिश चल रही है और उसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण को इस मुकदमें में फर्जी तरीके से फॅसाया गया है। अभियुक्तागण ने कोई अपराध कारित नहीं किया हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

23— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था { **अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001)—7 एस0सी0सी0—318**} में यह विनिश्चयन किया गया है कि वैमनस्यता सदैव दो धारी की तरह कार्य करता है। दुश्मनी किसी को झूठा फॅसाने का कारण भी हो सकता है और अपराध कारित करने का भी हो सकता है। यह सुव्यवस्थित विधि है कि अभियोजन कथानक का समर्थन करने हेतु यदि एक साक्षी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उस एक मात्र साक्षी के आधार पर ही दोषसिद्वी की जा सकती है, परन्तु जहॉ उभयपक्षों में वैमनस्यता व दुश्मनी प्रगट हों वहॉ एक मात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर कदापि दोषसिद्व नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अन्य साक्षियों के साक्ष्य से सम्पुष्ट न हो। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सम्मानित विधि व्यवस्था {**अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0—286**} उद्वरणीय है।

24— माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था {कल्लू मांझी बनाम झारखण्ड राज्य ए0आई0आर0 2003 एस0सी0—854} में यह विनिश्चयन किया गया है कि साक्षी तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वह जो पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं, द्वितीय वह जो पूर्णतः अविश्वसनीय होते हैं, तृतीय वह जो अंशतः विश्वास करने योग्य होते हैं और अंशतः अविश्वास करने योग्य होते हैं। प्रथम श्रेणी के साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्वी की जा सकती है। द्वितीय श्रेणी के साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर कभी भी दोषसिद्वी नहीं किया जायेगा और तृतीय श्रेणी के साक्षियों के साक्ष्य की सम्पुष्टि की आवश्यकता होती है।

25— उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में अब यह देखा जाना है कि क्या वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तागण को दीवानी मुकदमें की रंजिश के कारण झूठा फॅसाया गया है अथवा अभियुक्तागण द्वारा घटना कारित किया गया है?

26— इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—1 उमेश वादी मुकदमा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 को समय 8—30 व 9 बजे के बीच का है। वह पोखरी पर गया था उसकी बच्ची रिंकी उर्फ रिंका घर के पीछे बने स्नान घर में नहाने गयी थी। उसी बीच में सीमा, पूजा, अंगीता और उनकी मॉ कलावती उसकी बच्ची को धोबी की जाति कहकर गाली गुप्ता देने लगी और लाठी डण्डा व सरिया से मारे शेार सुनकर बचाने के लिए इन्द्रावती, किरन, संगीता व परिवार के लोग बचाने गये तो उनको भी ढेला ईटवा लात मूका से मारे तथा रिकी उर्फ रिंका का सिर फट गया। रिका और इन्द्रावती, किरन, संगीता का मेडिकल पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल तिलौली में कराया गया तथा इन्द्रावती को सरकारी अस्पताल नौगढ़ में रेफर कर दिया गया था।

27— प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना उसके सामने नहीं हुई थी। वह अपनी लड़की के बताने के आधार पर तहरीर दिया था। इसीघटना के सम्बन्ध में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है उस मुकदमें में वह जमानत भी करा चुका है। उसने जो प्रार्थनापत्र थाने पर दिया था उसमें लिखी हुई बात कि नाली के विवाद के कारण अभियुक्तगण उसकी लड़की रिंका उर्फ रिंकी व परिवार वालों को मारे पीटे थे यह गलत है। उसके और अभियुक्तगणों के बीच में जमीन का दीवानी मुकदमा चल रहा है जो अभियुक्तगणों ने किया है। यह कहना सही है कि जमीन के दीवानी मुकदमें में सुलह का दबाव बनाने के लिए उसने यह मुकदमा अभियुक्तगण के ऊपर किया है।

28— इस प्रकार यह साक्षी पी0डब्लू0—1 उमेश जो कि वादी मुकदमा है यद्यपि कि इसने अपने प्रतिपरीक्षा में स्वयं व अभियुक्तगण के बीच में जमीन का दीवानी मुकदमा चलने का कथन किया है और सजेशन में उसी दीवानी मुकदमें में दबाव बनाने के कारण यह मुकदमा लिखाये जाने का कथन किया है, परन्तु इस साक्षी के मात्र इतना कहने से कि इसके व अभियुक्तगण के बीच में जमीन का दीवानी मुकदमा चल रहा है और उसी दीवानी मुकदमें में दबाव बनाने के कारण यह मुकदमा लिखाया है, इसके सम्पूर्ण कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह साक्षी जो कि वादी मुकदमा है इसने प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपने मुख्य परीक्षा में कहीं भी अभियुक्तागण से रंजिश होने का कोई कथन नहीं किया है। यद्यपि इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनॉक 15—06—2018 को समय 9 बजे घर पर दीवाल व नाली के विवाद को लेकर घटना कारित होने का कथन किया है, जबकि अपने मुख्य परीक्षा में

अपनी बच्ची रिंका उर्फ रिंकी के स्नान घर में नहाने जाने पर घटना कारित किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी द्वारा घटना घटित होने के सम्बन्ध में जो साक्ष्य दिया है वह विश्वसनीय प्रतीत होता है और इसके बयान व प्रतिपरीक्षा में थोड़ा–बहुत विरोधाभासी कथन किये जाने से इसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

29– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–2 किरन कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15–06–2018 कोसुबह 9 बजे का समय था। उसके पिता जी 5 भाई हैं। आपस में बटवारा हुआ सभी लोग अपना अपना घर बनवा रहे थे मजदूर नाली में पानी गिराने का पाइप लगा रहे थे तब तक कलावती, पूजा, संगीता, सीमा, त्रिवेनी से उसकी मम्मी गयी पूछने कि क्यों रोक रहे हो तब सभी लोग मिलकर मारने लगे। लाठी, ईट, सरिया से लात मूका से भी मारे बचाने वह गयी तो उसे भी मारने लगे। रिका, संगीता को भी मारे रिंका का सरिया से मारने पर उसका सर फट गया। गालियॉ दिये जातीय अपमान जनक सूचक शब्दों से अपमानित किये। धोबी मादरचोद को मार डालो।

30– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके व मुल्जिमों के बीच जमीन विवाद का मुकदमा नहीं चल रहा है बॉसी में उन लोगों पर भी इसी घटना का मुकदमा चल रहा है उसका नाम भी उसमें है जिसमें वह जमानत करा चुकी है। विवाद नाली बनाने को लेकर हुआ था। मारपीट व जातिसूचक का बयान सी0ओ0 साहब को दिया था। थाने पर जाकर सूचना दिया फिर अस्पताल इलाज हेतु गए। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे इसके मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान पर अविश्वास किया जा सके।

31– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 इन्द्रावती ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15–06–2018 समय 9 बजे का था। उसकी भतीजी रिंका नल पर नहाने गई थी, स्कूल जाने का समय था। इतने में पूजा, त्रिवेनी, कलावती, सीमा, अंगीता रिंका को मारने लगे, उसका सर फट गया। शोर सुनकर वह, किरन, संगीता नल के पास गई तो रिंका घायल

अवस्था में थी और ये लोग उसे, संगीता तथा किरन को भी मारे धोबी धोबीकटट साला कहकर गालियॉ दिये।

32— प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके परिवार व अभियुक्तगण के परिवार के बीच कोई दीवानी मुकदमा चल रहा है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। इस घटना में हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ था। इसकी बात की जानकारी उसे है। उस मुकदमा में हम लोग जमानत करा चुके है। आहत होने के बाद डाक्टरी हुआ था। थाने में एफ0आई0आर0 तत्काल किया गया था। सी0ओ0 साहब घटना स्थल पर आकर पूछताछ किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे इसके मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान पर अविश्वास किया जा सके।

33— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—4 संगीता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 की सुबह 8—30 बजे के बीच की है। हम लोग घर बनाये थे हम लोग घर का पानी निकालने के लिए पाइप घर के पीछे तरफ निकाल रहे थे पीछे हमारी जमीन थी। इसी बात पर कलावती, सीमा, पूजा, अंगीता रिंका को मारने लगे। शोर पर इन्द्रावती, किरन वहॉ पहुंची तब मुल्जिमान हम लोगों को मारे पीटे। सरिया से मारे पीटे और जाति सूचक शब्द धेाबी कटट कहकर गाली देने लगे। वह जाति की धोबिन है सभी मुल्जिमान जाति के तेली है। घटना की रिपोर्ट उमेश ने लिखाया था। चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ था। सी0ओ0 साहब ने बयान लिया था।

34— प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस घटना से सम्बन्धित एक मुकदमा बॉसी में भी चल रहा है। जिस जमीन के सम्बन्ध में विवाद की बात कही जाती है उससे सम्बन्धित कोई दीवानी मुकदमा चलता है कि नहीं उसे नहीं पता, विवाद नाली में पाइप लगाने को लेकर हुआ था, अभी तक पाइप नहीं लग पाया। उमेश घर से थाने पर 9 बजे निकले थे, दरखास्त देने के लिए, हमलोगों को चोट लगने पर डाक्टरी कराने तिलौली गए थे। सी0ओ0 ने घटना के एक सप्ताह के अन्दर बयान लिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे इसके मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान पर अविश्वास किया जा सके।

35— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—5 रिंकी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना लगभग साढ़े 6.1/2 साल पहले की है समय सुबह 9 बजे दिन का था। उसके मकान के पीछे नाली बन रहा था वह नहाने घर के पीछे नल पर गई थी। पूजा, सीमा, अंगीता, कलावती,त्रिवेनी आकर गालियॉ देने लगे मारने लगे उसे सरिया से मारे थे। नाली के विवाद को लेकर मारे थे। उसके अलावा इन्द्रावती, संगीता और किरन को भी मारे थे। उसके सिर व दाहिने हाथ में चोट आयी थी। पुलिस ने चोटों का डाक्टरी मुआयना तिलौली सरकारी अस्पताल में कराया था। सी0ओ0 साहब उससे पूछताछ किए थे।

इस प्रकार इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यह घटना 9 बजे सुबह की है। थाने पर दरखास्त देने मामा गए थे। डाक्टरी किस समय कराने गए समय नहीं बता सकती। दरोगा जी पूछताछ किए थे। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे इसके मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान पर अविश्वास किया जा सके।

36— इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0—1 उमेश वादी मुकदमा, चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0—2 किरन कुमारी, पी0डब्लू0—3 इन्द्रावती, पी0डब्लू0—4 संगीता, पी0डब्लू0—5 रिंकी के बयान से यह पाया जाता है कि घटना दिनॉक 15—06—2018 को समय लगभग 9—00 बजे दीवाल व नाली के विवाद को लेकर जब रिंकी घर के पीछे बने स्नान घर में स्नान करने गयी थी तो अभियुक्तागण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किया गया। इस प्रकार बचावपक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत नही होता है कि वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन अभियुक्तागण को फॅसाया गया हो। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना नाली के विवाद को लेकर होना बतायी जाती है तथा इसी घटना के बावत मुल्जिमान द्वारा बॉसी में मुकदमा किया जाना साक्षी ने बयान में बताया है। वादी मुकदमा को छोड़कर तथ्य के शेष साक्षीगण ने घटना से पहले दीवानी मुकदमा अभियुक्तगण से चलने से इंकार किया है। बचावपक्ष की ओर स ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे अभियुक्तगण को रंजिशन दीवानी मुकदमा के कारण फॅसाया गया हो।

37— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—6 हेड का0 हरेन्द्र प्रजापति ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनॉक 15—6—2018 को थाना बॉसी जिला सिद्वार्थनगर बतौर का0 मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस

दिन मु0अ0सं0–199/2018 की चिक एफ0आई0आर0 कायमी के साथ साथ कम्प्यूटर पर बोलकर टंकित कराया था तथा कायमी जी0डी0 में रपट सं0–26 समय 10–50 बजे मूल के साथ कार्बन प्रति लगाकर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि वादी के प्रार्थनापत्र पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया था। वादी का नाम उमेश कन्नौजिया है। एफ0आई0आर0 पर प्रभारी निरीक्षक का हस्ताक्षर है। उस पार्टी अर्थात विपक्षी के तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ था कि नही उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसने प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया था। इस साक्षी ने इस मामले की जी0डी0 कायमी प्रदर्श क–2 व चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–3 को साबित किया है।

38– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–7 उमाशंकर सिंह सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनॉक 15–06–2018 को क्षेत्राधिकारी बॉसी पर तैनात था। उस दिन मु0अ0सं0 199/2018 थाना बॉसी की विवेचना प्राप्त हुई। उस दिन पर्चा नं0–1में नकल चिक, नकल रपट अवलोकन इन्जरी रिपोर्ट इन्द्रावती, किरन, रिंका व संगीता तथा लेकर एफ0आई0आर0 का0 अंकित सिंह व वादी उमेश कन्नौजिया का बयान अंकित किया और उसी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा चोटहिल इन्द्रावती, रिंका, किरन का बयान अंकित किया। दिनॉक 16–6–2018 को पर्चा नं0–2 में चोटहिल संगीता का बयान अंकित किया। पर्चा नं0–3 दिनॉक 17–6–2018 में डा0 प्रियान्शु का बयान अंकित तथा जाति प्रमाणपत्र का अवलोकन किया तथा ग्राम प्रधान अनवर जहॉ का बयान अंकित किया जिसने वादी उमेश का जाति प्रमाणपत्र निर्गत किया था। पर्चा नं0–4 दिनॉक 22–6–2018 को चोटहिल इन्द्रावती के एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया अभियुक्ता पूजा, सीमा, अंगीता, कलावती का बयान अंकित किया और तमामी विवेचना से मामला सिद्व पाकर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मु0अ0सं0–199/2018 की विवेचना उसके द्वारा की गई थी। मुल्जिमानों द्वारा कोई मुकदमा दर्ज कराया गया था कि नहीं उसकी जानकारी में नहीं है। विवेचना के लिए कितनी बार गया था याद नहीं है। विवेचना के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों का बयान लिया गया था। घटना स्थल की नक्शा नजरी बनाई गई है। पीड़िता का मेडिकल हुआ था।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी ने इस मामले की विधि अनुसार विवेचना किया जाना बताते हुये आरोपपत्र प्रदर्श क–4 व नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 को साबित किया है।

39– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–8 डा0 प्रियांशु पाण्डेय चिकित्साधिकारी है जिनके द्वारा चोटहिल इन्द्रावती, किरन, रिंका व संगीता के शरीर पर चोटों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। इस साक्षी ने चोटहिल **इन्द्रावती** के शरीर पर निम्न चार चोटें आना बताया है।

चोट नं0–1 खरोच का घाव दॉये कन्धे पर पीछे की तरफ 9 से0मी0 X 2 से0मी0 आकार सूजर सहित मौजूद पाया गया जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–2 खरोच का घाव दाहिने तरफ सीने के ऊपरी हिस्से में 4 से0मी0 X 5 से0मी0 आकार का मौजूद पाया गया। ये घाव भी सूजन सहित था जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–3 खरोच का घाव दॉये पैर के निचले हिस्से में 3 से0मी0 X 1 से0मी0 के आकार का मौजूद पाया गया। जो सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था।

चोट नं0–4 खरोच का घाव बॉये पुटठे पर 8 से0मी0 X 2 से0मी0 के आकार का पाया गया था।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी। चोट नं0–4 को विशेषज्ञ रिपोर्ट व एक्सरे हेतु जिला अस्पताल सन्दर्भित किया गया था।

साक्षी ने चोटहिल **किरन** के शरीर पर निम्न चार चोटें आना बताया है।

चोट नं0–1 खरोच का घाव दॉयी भौह के 3 से0मी0 ऊपर ललाट पर 1 से0मी0 X 0.5 से0मी0 घाव मौजूद था।

चोट नं0–2 खरोच का घाव दाहिने हाथ के अग्रबाहू में मौजूद मिला। घ ाव सूजन युक्त था।

चोट नं0–3 दाहिने कन्धे पर दर्द की शिकायत बताई परन्तु बाहरी चोट नही पायी गई।

चोट नं0–4 बॉये पैर में दर्द की शिकायत बताई गई जिसमें कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गई।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की पायी गई। सभी चोटें किसी कठोर कुन्दालय से आना प्रतीत हो रही थी और साधारण प्रकृति की थी।

साक्षी ने चोटहिल **रिंका** के शरीर पर निम्न दो चोटें आना बताया है।

चोट नं0–1 फटा हुआ घाव सिर के पीछे की तरफ 3 से0मी0 X 0.5 से0मी0 के आकार का मौजूद था। जो कठोर व नुकीला आब्जेक्ट से आना प्रतीत हो रहा था। जहॉ रक्त श्राव हो रहा था।

चोट नं0–2 दर्द की शिकायत दॉये हाथ की कनिष्ठ अंगुली में बताई गई जहॉ जाहिरा चोट नहीं थी।

सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी और सामान्य प्रकृति की थी।

साक्षी ने चोटहिल **संगीता** के शरीर पर निम्न दो चोटे आना बताया है।

चोट नं0–1 कटा हुआ घाव दाहिने हाथ के कोहनी के 12 से0मी0 नीचे 1 से0मी0 X 0.5 से0मी0 के आकार का मौजूद पाया गया था जिसस रक्त श्राव हो रहा था।

चोट नं0–2 धूसा हुआ घाव (BLUNT TRAUMA) बॉये हथेली में पाया गया था। जिसमें कोई सूजन नहीं था और सख्त कुन्दालय से आना प्रतीत हो रहा था। सभी चोटें 12 घण्टे के अन्दर की थी। चोट नं0–1 धारदार व नुकीला आब्जेक्ट से आना प्रतीत हो रहा था। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

इस साक्षी ने चोटहिल इन्द्रावती, किरन, रिंका, संगीता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुये इसकी पुष्टि की है जिसपर क्रमशः प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9 डाला गया।

40– इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–8 डा0 प्रियांशु पाण्डेय के अनुसार चोटहिल को जो चोटें आई हैं वह 12 घण्टे के अन्दर की थी तथा उक्त चोटें सख्त कुन्दालय व कठोर व नुकीला आब्जेक्ट से आनी बतायी है। उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। प्रस्तुत मामले में घटना दिनॉक 15–06–2018 की सुबह 9 बजे की है और डाक्टरी परीक्षण दिनॉक 15–06–2018 को ही 2–00 पी0एम0 से 2–45 पी0एम0 के मध्य किया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्य के साक्षीगण के बयान की सम्पुष्टि डाक्टर के बयान व मेडिकल रिपोर्ट से होती है।

41– **धारा–323** भा0द0सं0 स्वेच्छया उपहति कारित करना जिसकी परिभाषा धारा 321 भा0द0सं0 में दी गयी हैः–

धारा–321 भा0द0सं0 स्वेच्छया उपहति कारित करना को परिभाषि करती है जिसमें कथन किया गया है कि–जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को

उपहति कारित करे और तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति करता है'' यह कहा जाता है।

42— इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0—1 उमेश वादी मुकदमा, चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0—2 किरन कुमारी, पी0डब्लू0—3 इन्द्रावती, पी0डब्लू0—4 संगीता, पी0डब्लू0—5 रिंकी के बयान से यह पाया जाता है कि घटना दिनाँक 15—06—2018 को समय लगभग 9—00 बजे दीवाल व नाली के विवाद को लेकर जब रिंकी घर के पीछे बने स्नान घर में स्नान करने गयी थी तो अभियुक्तागण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किया गया। इस प्रकार बचावपक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत नही होता है कि वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन अभियुक्तागण को फॅसाया गया हो।

43— यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह पाया जाता है कि इसी घटना दिनॉकित 15—06—2018 के सम्बन्ध में वादीपक्ष के विरूद्व भी एक मुकदमा थाना बॉसी में मु0अ0सं0—246/2018 धारा—323, 504, 325 भा0द0सं0 का पंजीकृत है। जिससे स्पष्ट है कि उभयपक्षो के बीच घटना कारित की गयी है।

44— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती के द्वारा चोटहिल रिंका, किरन, इन्द्रावती व संगीता को लाठी, डण्डा व सरिया से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती के विरूद्व लगाये गये आरोप धारा—323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

45— **जहॉतक अभियुक्तागण द्वारा वादी व परिवारीजन पर गाली गुप्ता दिये जाने का आरोप है।**

46— इस सम्बन्ध में बचावपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने अभियुक्तागण द्वारा वादी मुकदमा की बच्ची रिंका व चोटहिलों को किन शब्दों में गाली गुप्ता देकर अपमानित किया गया इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तागण अन्तर्गत धारा—504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

47— उक्त तर्क का खण्डन करते हुये अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने अभियुक्तागण द्वारा गाली गुप्ता दिये जाने के सम्बन्ध में कथन किया है। अतः अभियुक्तागण को धारा—504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्व किया जाय।

48– **<u>धारा–504 भा0द0सं0</u> लोक–शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान**–जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक–शान्ति भंग का कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

49– उपरोक्त साक्षीगण के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री रिंका व चोटहिलों को अपमानित किये जाने हेतु अभियुक्तागण द्वारा दिये गये गाली गुप्ता के वास्तविक शब्दों का उल्लेख तहरीर व बयान में नही किया गया है। वास्तविक शब्दों को न्यायालय के समक्ष प्रगट न करने के कारण न्यायालय वस्तुतः इस तथ्य का आंकलन नहीं कर सकती कि अभियुक्तागण के द्वारा अपने गाली में ऐसा कौन सा शब्द प्रयोग किया गया जिससे वादी पक्ष को प्रकोपित होकर शान्तिभंग करने की सम्भावना थी।

50– इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **{1984 (21) ए0सी0सी0 235 रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ कल्लू बनाम उत्तर प्रदेश सरकार}** व सम्मानित विधि व्यवस्था **{1955 सी.आर.एल.जे. 1382 के0पी0 सिन्हा बनाम आफताब दीन}** में यह विनिश्चयन किया गया है कि यदि वास्तविक शब्दों का खुलासा अभियोजन के द्वारा साक्ष्य में नहीं किया गया है तो धारा 504 भा0द0सं0 का आरोप अभियुक्त के विरूद्व साबित नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर गाली गुप्ता दिये जाने के लगाये गये आरोप को साबित करने पर असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण धारा 504 भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

51– अभियोजन की ओर से बहस के दौरान मुल्जिमान के विरूद्व धारा–3(1)द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप सन्देह से परे साबित होने के सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत किया गया था, जबकि बचाव पक्ष द्वारा इसका खण्डन किया गया था। इस सम्बन्ध में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का धारा–3(1)द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के सन्दर्भ में की गयी उपधारणा का उल्लेख किया जाना न्यायसंगत होगा।

52– धारा–3(1)द एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट के अनुसार–

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से, साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा। वह उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जायेगा।

उक्त धारा को आकर्षित करने के लिये दो आवश्यक तत्वों का साबित होना आवश्यक है–

1– जनता को दृष्टिगोचर कोई स्थान हो

2– गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को साशय अपमानित करना। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा **राजेन्द्र कुमार बनाम दयानन्द आदि 2018 (2) जे0आई0सी0 106 इलाहाबाद** के मामले में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य द्वारा स्टैंडिंग काउन्सिल एवं अन्य 2008(3) जे0आई0सी0 391 (एस0सी0)** को सन्दर्भित करते हुये "Public View" तथा Utterances in intent to insult" के सम्बन्ध में निम्नवत विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

Firstly-it has to be ensured Whether utterances in question have been made in generalized term or purposefully to insult an individual causing humiliation in public view.Thus the use of particular word of caste to which such person belongs should be with view to cause insult intentionally. Secondly, Humiliation should be in a public view. The public view means at a place which is within the public view the place where ordinarily public movement is a routine. It is not necessary that merely because a place is an open place it is necessarily a place to be treated as within the public view…'

….We must, therefore, not confuse expression 'place within public view' with the expression 'public place.' A place can be a private place but yet within the public view. On the other hand, a public place would ordinarily mean a place which is owned or leased by the Government or the municipality (or the local body) or goan sabha or an instrumentality of the state,and not by private persons or private bodies."

53– अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–1 उमेश ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तगण सीमा, पूजा, संगीता व कलावती उसकी बच्ची को धोबी की जाति कहकर गाली गुप्ता देने लगी। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 किरन कुमारी ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तगण कलावती, सीमा, पूजा, संगीता व त्रिवेनी ने रिंका को जातीय अपमानजनक सूचक शब्दों में अपमानित किये। पी0डब्लू0–3 इन्द्रावती ने कथन किया है कि अभियुक्तागण

ने उसे धोबी, धोबीकटट साला कहकर गालियॉ दिये। पी0डब्लू0–4 संगीता ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तागण ने उसे जाति सूचक शब्द धोबी कटट कहकर गाली दिये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल जाति सूचक शब्दों में गाली देने का अंकन किया गया है। विवेचक साक्षी पी0डब्लू0–7 उमाशंकर सिंह द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 तैयार किया गया है। जिसमें घटना स्थल B स्थान से दर्शित किया गया है जो वादी के मकान व स्नान घर के बीच में दिखाया गया है। B स्थान से स्नान घर के बीच में पेड़ आम दिखाया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना के समय वादीपक्ष व अभियुक्तगण के अतिरिक्त किसी अन्य को उपस्थित होने का कोई कथन किया गया है। इससे यह दर्शित होता है कि घटना स्थल के आस–पास कोई भी आवादी व रास्ता नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यह पाया गया हो कि अभियुक्तागण द्वारा दिये गये उपरोक्त जातिसूचक शब्दों का प्रभाव इस प्रकार का हो कि वादी मुकदमा की पुत्री रिंका व उसके परिवार वालों को सार्वजनिक रूप से अपमानित माना जा सके। घटना स्थल पर कोई आबादी न होने के कारण इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि मुल्जिमान द्वारा पब्लिक की दृष्टि में जातिसूचक गाली देकर वादी मुकदमा की पुत्री व उसके परिवार वालों को अपमानित किया गया हो। इस प्रकार मान्नीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियोजन पक्ष अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती के विरूद्ध धारा–3(1)द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूप से विफल रहा है।

54— इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व उपरोक्त साक्षीगण के बयान व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

55— अतः अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती धारा 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्व किये जाने योग्य है तथा धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3(1)द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

56— **अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती को अन्तर्गत धारा–323 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्व किया जाता है।**

57— अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती को अन्तर्गत धारा—504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)द अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

58— अभियुक्तागण जमानत पर है उनके व्यक्तिगत बन्ध—पत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

59— अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्तागण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय।

60— पत्रावली लन्च बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनॉकः—09.07.2026

(त्रिभुवन नाथ)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

लंच बाद कमशः

पत्रावली लन्च बाद पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभियुक्तागण की तरफ से कहा गया है कि उनका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तागण महिलायें हैं जो कि गृहणी हैं। अभियुक्त कलावती की उम्र 68 वर्ष है जो कि वृद्व महिला है। अतः अभियुक्तागण को प्रोबेशन अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तागण को धारा—323 सपठित धारा—34 भा0दं0सं0 के तहत दोषी पाया गया है। धारा—323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए कारावास या एक हजार रूपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अभियुक्तागण के विरूद्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तहत दलित उत्पीड़न का कोई मामला साबित नहीं हुआ है। वादी मुकदमा एवं अभियुक्तागण के मध्य दीवाल व नाली में पाइप लगाने को लेकर विवाद होना बताया जाता है। प्रकरण वर्ष 2018 का है जो 8 वर्ष पुराना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये तथा अभियुक्तागण की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में

रखते हुये न्यायालय की राय में अभियुक्तागण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तागण पूजा, सीमा, अंगीता व कलावती को धारा–323 सपठित धारा–34 भा0दं0सं0 के तहत दोषी पाते हुये दण्ड का निर्धारण न करके, उन्हें एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह इस दौरान परिशान्ति कायम रखेंगे तथा सदाचारी बनी रहेंगी तथा कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं करेंगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्ड के निर्धारण हेतु न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगी।

अभियुक्तागण मु0–25,000 / –25,000 / –(पचीस पचीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र, अण्डरटेकिंग व समान धनराशि की एक–एक जमानतें जिला प्रोवेशन अधिकारी सिद्वार्थनगर के समक्ष 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

निर्णय की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को भेजी जाये तथा निर्णय की एक प्रति अभियुक्तागण को भी प्रदान की जाये।

दिनॉकः–09.07.2026 (त्रिभुवन नाथ)

अपर जिला एवं सत्र / विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0 / एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनॉकः–09.07.2026 (त्रिभुवन नाथ)

अपर जिला एवं सत्र / विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0 / एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

Digitally signed by Tribhuwan Nath
Date: 2026.07.09 17:38:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court